

an>

Title : Grant of an additional attempt for UPSC examination aspirants affected by Covid-19-Laid

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): वर्ष 2020 और 2021 में बहुत सारे छात्र जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे थे कोरोना से संक्रमित हुए हैं और ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस बीमारी के कारण खोया है। इसका परिमाण यह था कि UPSC जैसी मुश्किल परीक्षा की तैयारी इन छात्रों द्वारा नहीं की जा सकी और इसमें ऐसे भी छात्र थे जो परीक्षा में बैठ भी नहीं पाए। कानून सम्बंधित संसदीय समिति ने अपनी 112 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार अपना मत बदले और इन छात्रों को कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त प्रयास दे। ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई बार अपनी आवाज सरकार के समक्ष उठा चुके हैं। कोर्ट ने विभिन्न केसों के माध्यम से पॉलिसी मैटर होने की वजह से इस मुद्दे में दखल न देते हुए सरकार से DSRC की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए छात्रों के हित में सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाने के लिए सलाह दी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन मेहनती छात्रों के साथ कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास दिया जाए जिससे इनमें से कई छात्र अपनी मेहनत से चयनित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें और इन छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके।